श्री कामेश्वर सिंह 'सहायक प्रोफेसर'
राजनीति विभाग, रोहतास महिला कॉलेज सासाराम।
वर्ग – बी.ए. पार्ट – I 'प्रतिष्ठा'
पत्र – प्रथम, यूनिट नं० – 12
राजनीतिक सिद्धान्त – डॉ० पुखराज जैन
दिनांक – 17-07-2020

प्रश्न:– जॉन ऑस्टिन के सम्प्रभुता संबंधी सिद्धान्तों की आलोचनात्मक व्याख्या करें।

उत्तर:→ जॉन ऑस्टिन का जन्म इंग्लैण्ड में 1790 ई. में हुआ था। जिन्होंने 1832 ई० में सम्प्रभुता सम्बन्धी विषय पर एक लेख लिखा। जिसका नाम है Lectures on Jurisprudence (विधान-शास्त्र पर व्याख्यान) रखा। ऑस्टिन हॉब्स के विचारों से प्रभावित था तथा बेन्थम के विचारों का समर्थक था। वह एक न्यायवेत्ता (वकील) था। उसने सम्प्रभुता के वैधानिक रूप का प्रतिपादन किया।

उसके अनुसार कानून सम्प्रभुता की देन है। कानून के संबंध में जॉन ऑस्टिन का विचार था कि "उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है।" सम्प्रभु व्यक्ति का आदेश ही कानून है। इसी विचार के आधार पर जॉन ऑस्टिन ने सम्प्रभुता की धारणा को प्रतिपादित किया।

बेन्थम द्वारा प्रस्तुत किया गया सम्प्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त केवल सकारात्मक लक्षणों की ही व्याख्या किया है। जबकि ऑस्टिन सकारात्मक लक्षणों को नकारात्मक लक्षणों में जोड़कर सम्प्रभुता की पूर्ण परिभाषा निकाली। उसने

उसका कहना कि सम्प्रभु अन्य किसी भी व्यक्ति के आदेश को नहीं मानता जिसे बेन्थम ने नहीं स्वीकार किया।

जान ऑस्टिन ने सम्प्रभुता की निम्न परिभाषा दिया है जो इस प्रकार है।

परिभाषा :- "यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति सम्पन्न होता है तथा वह समाज उस उच्चसत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है।"

ऑस्टिन द्वारा सम्प्रभुता संबंधी सिद्धान्त का विश्लेषण निम्न प्रकार से होता है।

(1.) स्वतंत्र राजनीतिक समाज के लिए सम्प्रभु का होना अनिवार्य है:— सम्प्रभु बिना स्वतंत्र राजनीतिक समाज में राज्य का अस्तित्व सम्भव नहीं है। जहाँ सम्प्रभु नहीं, वहाँ कानून नहीं, है जहाँ कानून नहीं है, वहाँ राज्य नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक समाज में सम्प्रभु उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार किसी पदार्थ के पिंड में आकर्षक केन्द्र का होना अनिवार्य है।

Scanned with CamScanner

(2) सम्प्रभुता किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती है:— सम्प्रभुता एक प्रधान व्यक्ति में निहित होती है जिसे प्रत्येक व्यक्ति देख सके या जो स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सके कि राज्य में कौन सम्प्रभु है। सम्प्रभुता सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, दैविक इच्छा, जनमत आदि में निहित नहीं हो सकती। इसमें एक ऐसा मनुष्य या एक ऐसी निश्चितता होनी चाहिए जिस पर कानूनी प्रभुत्व नहीं हो। क्रमशः......

Scanned with CamScanner